सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी विभाग,

फतेहपुर, उ०प्र०

विषय: जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी० 82.00 से किमी० 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी० में एच० डी० डी० तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम)व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे० सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

सन्दर्भ: आपका पत्रांक सं०- पी-301/81-2-2021-800(20)/2022 दिनांक 28 मार्च 2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम बिन्दुवार निस्तारण:-

क्र.	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा	याचक विभाग द्वारा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा ।
2	भूमिगत गैस पाइपलाइन/मार्गो/सडको/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तो के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे ।	याचक विभाग द्वारा भूमिगत गैस पाइपलाइन/मार्गो/सडको/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तो के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे
3	गैस पाइपलाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज़ 2.00 मी० गहराई 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक न होगी ।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेंच की साइज़ 2.00 मी० गहराई 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक नहीं होगी ।
4	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पेक्ट करना होगा कि भू-रक्षण की सम्भावना न हो ।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-रक्षण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।
5	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी ।	याचक विभाग द्वारा स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी ।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित	याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व् वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

	सहमति दी जाएगी ।	वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ सलंग्न है ।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी ।	याचक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी ।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व की पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा ।	याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ यह वचनबद्धता संलग्न की गयी है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा ।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-556 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ० सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन० पी० वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Managment and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी ।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक ,सामाजिक वानिकी प्रभाग ,फतेहपुर, उ०प्र० के पत्र सं० 2707/27-4 फतेहपुर दिनांक 2/4/2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही है 0.9 हे. संरंक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन० पी० वी०) की धनराशि 862002.00 (आठ लाख बासठ हज़ार दो रुपए मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 2104.2022 को जमा करा दी गयी तथा ऑनलाइन चालान की प्रति सलंग्न है ।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र कर लिया गया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ सलंग्न है ।
11	प्रोयक्ता एजेंसी के पास वैध व् अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो ।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है ,जो कि प्रस्ताव के सलंग्न है ।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिचित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय	आवश्यकता नहीं है ।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

	अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ़ नेशनल बोर्ड ऑफ़ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बंधित जिले का जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमे वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है , जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेंचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रश्नगत भूमि सेंचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के ही उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।	याचक विभाग द्वारा समस्त वैधानिक /प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना में 12 इंच डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन० पी० वी० का भुगतान किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक ,सामाजिक वानिकी प्रभाग ,फतेहपुर, उ०प्र० के पत्र सं० 2707/27-4 फतेहपुर दिनांक 2/4/2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही है 0.9 हे. संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन० पी० वी०) की धनराशि 862002.00 (आठ लाख बासठ हज़ार दो रुपए मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 2104.2022 को जमा करा दी गयी तथा ऑनलाइने चालान की प्रति सलंग्न है।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ मा॰ न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ वचनबद्धता संलग्न है।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति सलंग्न) में अंकित 02 बिन्दुओ में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिंदु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। जो इस प्रकार है -	
19(i)	सी॰एन॰जी॰/गैस पाइपलाइन बिछाने वाली ऐसी कंपनियां जो लगातार गैस पाइपलाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय ,शहर से ग्रामीण ,अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व जी भांती प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी॰ तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।	याचक विभाग द्वारा उ॰प्र॰ शासन की पत्र सं॰ जी॰ आई॰-196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 2.7.2010 एवं शासनादेश दिनांक 7.1.2011 के अनुपालन में जनपद गाज़ियाबाद में किसी एक स्थान पर कुल 20 किमी॰ तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रु॰ 93,60,000/- (तिरानबे लाख साठ हज़ार मात्र) ड्राफ्ट सं॰ 017022 (रु॰ 90,00,000/-) एवं 017024 (रु॰ 3,60,000/-) दिनांक 7.7.2010 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाज़ियाबाद में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
19(ii)	ऐसी कंपनिया, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाती है अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है ,उस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 5 वर्ष तक के रख रखाव के लिए निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	याचक विभाग, सी॰एन॰जी॰/ पी॰एन॰जी॰ गैस पाइपलाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइपलाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय ,शहर से ग्रामीण ,अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है। अत: लागू नहीं होता है।
20	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

	अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो । उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा ।	प्राप्त है ,जो कि प्रस्ताव के संलग्न है ।
21	प्रश्नगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है । भविष्य में प्रकरण में किसी बिंदु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयम् उत्तरदायी होंगे ।	प्रस्ताव के साथ सुसंगत प्रमाण पत्र संलग्न है ।

अत: आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग की अनुमति जारी करने की कृपा करे ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी० 82.00 से किमी० 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी० में एच० डी० डी० तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।
(प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -1

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी० 82.00 से किमी० 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी० में एच० डी० डी० तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -2

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत गैस पाइपलाइन/मार्गो/सडको/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तो के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी० 82.00 से किमी० 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी० में एच० डी० डी० तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -3

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सी० एन० जी० /पी० एन० जी० पाइपलाइन हेतु खोदी गये ट्रेंच की साइज़ 2.00 मी० गहराई 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी० 82.00 से किमी० 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी० में एच० डी० डी० तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -4

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-रक्षण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी॰ 82.00 से किमी॰ 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी॰ में एच॰ डी॰ डी॰ तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे॰ संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं॰- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं॰ -5

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा॰वा॰वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी० 82.00 से किमी० 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी० में एच० डी० डी० तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -6

याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व् वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनबद्धता दी जाती है।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी० 82.00 से किमी० 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी० में एच० डी० डी० तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।
(प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

<u>वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -7</u>

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी ।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फ़तेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी॰ 82.00 से किमी॰ 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी॰ में एच॰ डी॰ डी॰ तकनीकी/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे॰ संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं॰- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/148458/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं॰ -8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व की पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/148458/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/148458/2021) Project for Laying of Carbon Steel Gas Pipe Line (300mm) along with road on Chaudagra-Ghatampur-Bhognipur Marg (SH-46) from Km. 82 to Km. 64 (On R.H.S.) Km. 18.0, Total Km. 18 & 0.900 Ha. In Forest Di	PIPELINE1484582021119	7214845811 9	28 Mar 2022	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 862002/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 862002/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 05 Apr 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 23 Apr 2022 Transaction Date: 21 Apr 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040420221554149919_FPUPPipeline1484582021_User_Fund_Demanded_15567.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE1484582021119)

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)
(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-04-2022

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED NEW DELHI
Application No.	72148458119
State Code.	DL
Address.	IGL Bhawan,Plot No.4,Community Center, Sector 9,R.K.PuramNew Delhi
Amount(In Rs)	862002/-

Amount In Words :Eight Lakh Sixty-Two Thousand and Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP72148458119
Bank Name & Address:	*Union Bank of India Branch* Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-04-2022

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED NEW DELHI
Application No.	72148458119
State Code.	DL
Address:	IGL Bhawan,Plot No.4,Community Center, Sector 9,R.K.Puram New Delhi
Amount(In Rs)	862002/-

Amount In Words :Eight Lakh Sixty-Two Thousand and Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP72148458119
Bank Name & Address:	*Union Bank of India Branch* Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Proposal No. - FP/UP/Approach/148458/2021

FORM-1

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector, Fatehpur (U.P.)

No. 3111 27-4 Dated 4-5-2022

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of The Ministry of Enviourment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modifications of above said letter, MOEF exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights to schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers in case of linear projects vide ministary of environment and forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 28-10-2014

It is further certified that:-

a) **An area of 0.90 Hectare** of protected forest land is proposed to be diverted for non-forestry purpose to **Indraprasth Gas Limited, Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur, Civil Lines, Kanpur** for Laying of 12" (300mm) Carbon steel Gas Pipeline along Chaudagra-Ghatampur-Bhognipur Marg (SH-46) On R.H.S From Km. Ch. 82.000 to Km. 64.000 (Lenngth 18.00Km) in Social Forestry Division of Fatehpur District.

   1. **At Road along Chaudagra-Ghatampur-Bhognipur Marg (SH-46) On R.H.S Km. Ch. 82.000 to Km. 64.000 (Lenngth 18.00Km), District - Fatehpur, (U.P.) In Forestry Division Fatehpur UP Of Protected Forest Land.**

b) The proposal does not affect the recognized rights and interests of primitive Tribal Groups of agriculture Communities, as those are having no recorded population in the above stated region of protected forest land.

c) The forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 is located in villages having no recorded populations of Schedule Tribes as per census 2001 and the census 2011. The requirement of forest land as proposed by the agency is barest minimum.

District Collector/Magistrate
Fatehpur

जिलाधिकारी
फतेहपुर

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(58)

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1076

Date: 7 July 2010

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: *Laying of* 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1 (Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghazipur

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of **Rs.93.60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only)**.

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July 2010 of Rs.**3,60,000/-** against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,

7/7/10
SFD 926

Yours Sincerely,

Vikas Bansal
Chief Manager

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part), Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

Encl: Demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00...

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(57)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 74 / 22-1 दिनांक गाजियाबाद 3 जुलाई, 2010

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई0सी0एल0 भवन,
प्लाट नं0–4, आर0के0 पुरम,
सेक्टर–9, नई दिल्ली।

विषयः गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाहे से महामाया स्टेडियम तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भः उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–जी0आई0–196 / 14–2–2010–1017 / 10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश जो मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के बिन्दु सं0–15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति कि0मी0	वांछित धनराशि
1	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	रू0 4,50,000 / –	रू0 90,00,000 / –
2	प्रशासनिक व्यय	4 प्रतिशत	रू0 3,60,000 / –
	कुल योग :–		रू0 93,60,000 / –

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part), Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

संख्या- /14-2-2010

प्रेषक,

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2011

विषयः सी०एन०जी०/गैस पाइप लाइन बिछाने पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने के शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1)- सी०एन०जी०/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाईप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय,शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है,उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी०तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू रहेगी।

(2)- ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाईप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती है अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार से [illegible] स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रुप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिरिक्त नवीन शर्त के रुप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश संशोधित पढ़ा जाय।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA

Civil Lines, Kanpur-208001

सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Prapatra-1

S. No	Details	Compliance
1	2	3
1	CA amount as per proposal	Rs. 00.00
2	CA amount deposited	Rs. 00.00
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	0
5	NPV amount as per proposal	Rs. 862002.00
6	NPV amount deposited	Rs. 862002.00
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	0
9	Any other amount deposited-(Plantation and 10 years maintenance of dwarf plants under transmission line)	Rs. 0.00
10	CAMPA confirmation	Payment has been made through E-Payment by UTR No - INDB411000887967 Date - 21-04-2022 in CAMPA fund, CAMPA confirmation receipt enclosed here with us.

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, वी.आई.पी. रोड, सिविल लाईन्स, फतेहपुर उत्तर प्रदेश 212601
05180-224493 dfofatehpur@gmail.com

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उलंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा अन्तर्गत चौडगरा–घाटमपुर–भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–46) के कि.मी. 82.000 से कि.मी. 64.000 कुल लम्बाई 18.00 किमी में एच.डी.डी तकनीकी/ओपेन ट्रेंच के माध्यम से भूमिगत 12" (300एम.एम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उलंघन नहीं किया गया है।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, वी.आई.पी. रोड, सिविल लाईन्स, फतेहपुर उत्तर प्रदेश 212601
05180-224493 dfofatehpur@gmail.com

SUJEET KUMAR KATIYAR
Stamp Vendor
Licence No. 130/12-13
E Stamping ACC ID-UP14136404
Civil Court Compound Kanpur Nagar
Mobile No. 8756957548

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP56113344390943U
Certificate Issued Date	:	01-Apr-2022 12:41 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14136404/ KANPUR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14136404032564796619 51U
Purchased by	:	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Description of Document	:	Article 48 Power of Attorney
Property Description	:	POA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Second Party	:	K C DIXIT
Stamp Duty Paid By	:	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

SUSHIL KUMAR SINGH NOTARY

01/04/2022

01/04/2022

NOTARIAL

Please write or type below this line

GENERAL POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THIS GENERAL POWER OF ATTORNEY

This Power of Attorney is executed at New Delhi by Mr. Sanjay Kumar working as Managing Director in Indraprastha Gas Limited.

WHEREAS Indraprastha Gas Limited, is a Company incorporated under the Companies Act, 1956, having its Registered Office at IGL Bhawan, Plot No. 04, Sector- 09, R K Puram, New Delhi 110001 (hereinafter referred to as the 'Company').

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

AND WHEREAS pursuant to the Resolution passed by the Board of Directors on 14.01.1999, the Managing Director and/or Director (Commercial) of the Company have been authorized to do various acts and perform various duties as mentioned therein. The Resolution dated 14.01.1999, is attached herewith as Annexure-A.

AND WHEREAS it is considered necessary and expedient to appoint Mr. K.C. Dixit AGM (GA Head, Kanpur/Fatehpur/Hamirpur) to be the true and lawful Attorney of the Company (hereinafter referred to as the "Attorney").

AND NOW THEREFORE, I, Sanjay Kumar Managing Director IGL, in the capacity of above vested powers hereby authorize and delegate the following powers to Mr. K.C. Dixit AGM (GA Head, Kanpur/Fatehpur/Hamirpur) to carry out the following acts in matters only connected with Kanpur/Fatehpur/Hamirpur on behalf of Indraprastha Gas Limited: -

1. To appear and represent the Company before the Central Government, the State Governments, Local Authorities, Local Self Government Bodies, Income Tax authorities, Public bodies officers, and similar other authorities;

2. To sign and execute all agreements, undertakings, applications, returns, papers, receipts, all other documents and to do all or any of the acts, deeds, matters and things as may be considered expedient and necessary on behalf of the Company, in the matters connected herewith; and

3. To sign and execute agreements relating to purchase of properties, or to sign and execute lease deed and where necessary to register any and all documents including deeds, leases, etc. before any authority.

IN WITNESS WHEREOF this General Power of Attorney is signed and sealed on this _______ day of April, 2022.

(SANJAY KUMAR)
MANAGING DIRECTOR
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
EXECUTANT

Specimen Signature of Mr. K.C. Dixit

(..........................)

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

SUSHIL KUMAR SINGH
NOTARY
CENTRAL GOVT.
KANPUR COURTS
U.P. (INDIA)

WITNESSES:

1- ______________

2- ______________

Identified By

Certified that this documents is presence before me today by Sri............ who is identified by Sri............ Verified per identified............ Hence Attested

Sushil Kumar Singh Advocate
Central Govt. Notary
Kanpur Court (U.P.)

07/04/2022